न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–434/2026
(लौकहा थाना कांड संख्या–41/2026; अन्तर्गत धाराः 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम गोपेश कुमार उर्फ गोपेश कुमार गोइत

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
12.05.2026 Nayankumar लगातार...	आवेदक अभियुक्त **गोपेश कुमार उर्फ गोपेश कुमार गोइत,** उम्र–39 वर्ष, पिता–ओजीर गोइत उर्फ धर्मेन्द्र गोइत, सा0–परसाही, थाना–खुटौना, जिला–मधुबनी की ओर से लौकहा थाना कांड संख्या–41/2026 (अन्तर्गत धाराः 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत दिनांक 05.05.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुमलेश कुमार यादव द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक व्यस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे दस अन्य आपराधिक इतिहास (खुटौना थाना कांड सं0–77/2020, 30/2023, 49/2022, 49/2023, 50/2022, 32/2025, 109/2021, 142/2025 लौकहा थाना कांड सं0–39/2026, 41/2026) है तथा तीन कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। आवेदक को शंका के आधार पर एवं ग्रामीण राजनीति तथा द्वेष के कारण इस केस मे झुठा फंसाया गया है। आवेदक के पास से कोई भी शराब की बरामदगी नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष का मामला पुरी तरह झूठा और मनगढ़त है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है एवं उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से भागने मे सफल रहे तथा घटनास्थल से 155.01 लीटर देशी एवं विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। आवेदक का इस कांड के अलावे दस अन्य आपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध अद्यतन कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बी0एन0एस0 की धारा–274, 275, 3(5) एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 27.02.2026 को संध्या गस्ती के क्रम में इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल समय करीब 20:30 बजे लक्ष्मीपुर ब्रहमस्थान से 300 मीटर आगे पूरब की ओर पहुंचे तो देखे कि 6–7 व्यक्ति नेपाल की ओर से सिर पर बौरा लेकर आ रहा थे, पुलिस बल को देखकर सभी व्यक्ति बोरा पटक कर नेपाल की ओर भागने लगे। जिसमे से एक व्यक्ति संतोष कुमार मंडल पकड़ लिया। घटनास्थल से गिरफतार अभियुक्त संतोष कुमार मंडल द्वारा घटनास्थल से भागने मे सफल रहे व्यक्ति के रूप मे आवेदक गोपेश कुमार उर्फ गोपेश कुमार गोइत एवं	

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–434/2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–41/2026; अन्तर्गत धारा: 274, 275, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम गोपेश कुमार उर्फ गोपेश कुमार गोइत

12.05.2026	अन्य का नाम बताया गया तथा घटनास्थल पर फेंके गए बोरो से कुल 155.1 लीटर विभिन्न ब्रांड का देशी एवं विदेशी शराब बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 59 एवं आवेदक के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे दस अन्य आपराधिक इतिहास (खुटौना थाना कांड सं0–77/2020, 30/2023, 49/2022, 49/2023, 50/2022, 32/2025, 109/2021, 142/2025 लौकहा थाना कांड सं0–39/2026, 41/2026) है तथा तीन कांड बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 03, 07, 08, 14, 27, 28, 34, 38 एवं 43 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा घटनास्थल से आवेदक के भागने मे सफल होने एवं शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया आवेदक के इस कांड मे एवं शराब के तस्करी तथा कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम एवं आवेदक के आपराधिक इतिहास तथा इस कांड मे की गयी बरामदगी एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **गोपेश कुमार उर्फ गोपेश कुमार गोइत** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 12-05-26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner